

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत—जिला कलक्टर

मुकाम : दौसा

भरतलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा— राजस्व अपील

मुकदमा नम्बर—40—सन्— 2019

तारीक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.02.2020	<p>अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस हेतु पुनः अवसर चाहा गया। अधिवक्ता अपीलांट को पूर्व में बहस हेतु एवं शपथ पत्र पेश करने हेतु बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न तो शपथ पत्र पेश किया गया और न ही बहस की गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का कालाखो द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की भरतलाल पुत्र श्री अर्जुनलाल मीना निवासी ग्राम कुशाला का बास कालाखो ने खसरा नं0 754 रकबा 0.25 हेक्टेयर किस्म सिवायचक वाके ग्राम कालाखो पर अनाधिकृत रूप से बाजरा बोकर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस की तामील होने पर बावजूद सूचना अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। आदेशिका के अनुसार विजेन्द्र मीना भाई उपस्थित होना अंकित है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 28.08.2018 में कैफियत पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना तथा पटवारी हल्का के बयान दिनांक 27.12.2018 के अनुसार उक्त भरतलाल पुत्र अर्जुनलाल मीना पश्चातवर्ती एवं आदतन अतिचारी होना व्यक्त किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक कालाखो के हस्ताक्षर अंकित है। पत्रावली में संलग्न फर्द मौका/बेदखली एवं फसल जब्ती दिनांक 28.12.2018 के अनुसार उक्त अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी भरतलाल पुत्र अर्जुनलाल को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर अवैध रूप से काश्त खड़ी फसल बाजरा को हक सरकार में कब्जेराज लिया गया एवं जब्तशुदा फसल को नीलाम किया जाना अंकित किया गया है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नहीं करने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत पेश किये जाने से संबंधित कोई दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है और न ही बार बार अवसर दिये जाने उपरान्त भी इस न्यायालय में कोई सबूत/शपथ पत्र पेश किया गया है। जिससे अपीलांट का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि अपीलांट को सुनवाई/साक्ष्य/सबूत/शपथ पत्र पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।</p> <p>अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने तथा फर्द मौका/बेदखली एवं फसल जब्ती रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। मुकदमा नं0 73/18 उनवानी सरकार बनाम भरतलाल में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.12.2018 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फौसलशुमार की जाकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	<p>तहसीलदार पत्रावली 682 दिनांक 26-02-20 मौका मुला पत्रावली व अर्जुन मीना जति डेफिट</p>



(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा